प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1043/1988

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

-बनाम-

पीठासीन अधिकारी, सी.जी.आई.टी. जबलपुर और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु दिनांक 4 जनवरी 2006 के लिए सुची बद्ध करें ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

3. 1 . 2006

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

रिट याचिका संख्या 1043/1988

याचिकाकर्ता :- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
द्वारा, महाप्रबंधक, एसईसीएल, कोरबा।

बनाम

उत्तरवादी — 1. पीठासीन अधिकारी, केंद्रीय सरकार
औद्योगिक न्यायाधिकरण, जबलपुर।
2. छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर संघ, बांकीमोंगरा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
3. भारत संघ, सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी।
उत्तरवादी संख्या 2 की अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई।

<u>आदेश</u>

(4 जनवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान याचिका में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.7.1985 (अनुलग्नक — फ) और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में सी.जी.आई.टी) द्वारा सी.जी.आई.टी/एलसी/(आर)/(59)/1985 में पारित दिनांक 12.10.1987 (अनुलग्नक-I) के अधिनिर्णय को रद्द करने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कम्पनी है तथा दिनांक 01.11.1986 को अस्तित्व में आई। इससे

पहले यह वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड नामक एक अन्य कम्पनी का हिस्सा थी, जिसका मुख्यालय नागपुर में था। खदानों में प्रयुक्त डायनामाइट के विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए क्ले कार्टिज (गोटा) का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में इन क्ले कार्टिज (गोटा) को प्रबंधन या इसे तैयार करने के लिए नियोजित व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाता था।

3. सी.जी.आई.टी., जबलपुर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में आई.डी.ए.) की धारा 33-सी (2) के तहत श्रीमती शंकर बाई और 9 अन्य द्वारा दायर एक आवेदन में दिनांक 20.8.1979 को निर्णय दिया कि गोटा निर्माता, नग आधारित श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन समूह-I के हकदार हैं। सी.जी.आई.टी. के उक्त आदेश को लागू करते समय कुछ मतभेद उत्पन्न हुए। विवाद के कारण यूनियन और प्रबंधन के बीच दिनांक 20.01.1981 (अनुलग्नक-ए) को आपसी समझौते के तहत समझौता हुआ। समझौते की शर्तें इस प्रकार थीं:-

"समझौते की शर्तें:

1. सहमति हुई कि एक व्यक्ति, अर्थात् झिंगल, जो मर चुका है, को छोड़कर सभी व्यक्तियों को 01.01.1981 से कंपनी के रोल कर्मकारों की सुची पर लिया जाएगा, बशर्ते कि वे चिकित्सकीय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रबंधन उन सभी को पहली बार में क्ले कार्टिज बनाने वालों की नौकरी देगा, लेकिन यदि उनमें से कोई भी इस संबंध में उनकी आवश्यकता से अधिक पाया जाता है, तो उसे वैकल्पिक नौकरी प्रदान की जाएगी।

3. सहमति हुई कि इन क्ले कार्टिज बनाने वालों का कार्यभार 8 घंटे के काम के लिए प्रति कर्मचारी 9"x 1 1/2" के 1000 कार्टिज होगा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते-II के अनुसार अन्य लाभों के साथ समूह I मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यह भी सहमति हुई कि यदि किसी का उत्पादन ऊपर निर्धारित कार्य मानदंड से कम होता है, तो मजदूरी आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। इसी तरह, यदि उत्पादन न्यूनतम के रूप में निर्धारित की गई राशि से कम होगा, तो मजदूरी आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी।

4. सहमति हुई कि प्रबंधन कार्यस्थल पर आवश्यक सामग्री, अर्थात क्ले (clay)/रेत, पानी और कोयला उपलब्ध कराएगा और कार्टिज मौजूदा प्रथा के अनुसार श्रमिकों द्वारा लोड/आपूर्ति किया जाएगा।

5. जबकि नीचे नामित इन 9 नियमित व्यक्तियों की मजदूरी 01. 01.1981 से इस समझौते के अनुसार विनियमित की जाएगी, उन्हें या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा, जो समान रूप से एक महीने के भीतर वितरित किया जाएगा उनके सभी दावों का अंतिम निपटान, 31.12.80 तक की अवधि के लिए। न तो यूनियन और न ही विवाद में संबंधित व्यक्ति 31.12.1980 तक मजदूरी के बकाया या किसी अन्य खाते के लिए प्रबंधन के खिलाफ कोई अन्य दावा नहीं रखेंगे और वे 1.1.1981 से पहले प्रबंधन के खिलाफ अपने सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निराकरण में राशि स्वीकार करेंगे।

व्यक्तियों का नाम :-

1. शंकर बाई पति भक्कू।

2. रामेश्वर पति देव प्रसाद

3. बुधवारा बाई पतिन न्दलाल।

4. राम मत बाई पति इतवार।

5. मंगरैल पिता संतोष।

6. तेजा बाई पति सीताराम।

7. दारस बाई पति रामाधीन।

8. सोहन बाई पति धनीधर।

9. अगरसा बाई पति पुनीराम।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 20.1.1981 के समझौते की मद-4 की व्याख्या के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि श्रमिकों के अनुसार, प्रबंधन समझौते के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तदनुसार विवाद को केन्द्र सरकार को भेजा गया। केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) तथा उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 जुलाई, 1985 के पुराने आदेश (अनुलग्नक फ) के अनुसार, 1947 में उक्त विवाद को सी.जी.आई.टी., जबलपुर को निम्नानुसार निर्णय हेतु भेजा गया:—

“क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा के प्रबंधन और छत्तीसगढ़ खदान कारखाना मजदूर संघ, बैंकटमोंगरा के बीच आर.एल.सी (स), जबलपुर के समक्ष हस्ताक्षरित समझौते की मद संख्या

4 की शर्तों के अनुसार, प्रबंधन को कार्यस्थल पर मिट्टी, पानी आदि उपलब्ध कराना है? यदि हाँ, तो गोटामेकर्स श्रमिक किस अनुतोष के हकदार है?"

संख्या 2 ने तदानुसार दिनांक 27.07.1985 को सी.जी.आई.टी के समक्ष मामले का विवरण प्रस्तुत किया।

5. सी.जी.आई.टी दोनों पक्षों के मामले पर विचार करने और जांच करने के बाद, संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया -

"पश्चिमी कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन और छत्तीसगढ़ कारखाना खदान मजदूर संघ, बाकीमोंगरा के बीच क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर के समक्ष दिनांक 21.01.1981 को हुए समझौते की मद संख्या 4 के अनुसार प्रबंधन ने कार्यस्थल पर मिट्टी (clay), पानी आदि उपलब्ध कराया था । प्रबंधन अपनी स्वयं की व्याख्या के अनुसार क्ले (clay) उपलब्ध नहीं कराया । जो कि सही नहीं है। इसलिए, श्रमिक प्रतिदिन 8 कार्य घंटो के हिसाब से उन्हें किए गए भुगतान के आधार पर गणना की गई दैनिक मजदूरी के रूप में तीन घंटे ओवर टाईम के हकदार हैं । यह राशी उन्हें 20.01.1981 से तब तक भुगतान की जानी है जब तक उन्हें कार्य स्थल पर मिट्टी पानी आदि उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रबंधन इन कार्यवाहियों की लागत के रूप में प्रत्येक श्रमिक को 50/- रुपये का भुगतान करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.7.1985 (अनुलग्नक- फ) और सी.जी.आई.टी. जबलपुर द्वारा पारित दिनांक 12. 10.1987(अनुलग्नक-I) के अधिनिर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की ।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ के उल्लंधन में थे। न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज निष्कार्षो के विपरित थे । छर्रे/गोटा बनाने वाले श्रमिकों को आम तौर पर समझौते की शर्तों के अनुसार कार्यस्थल और आवश्यक वस्तुएं जैसे पानी, कोयला, मिट्टी, रेत और कोयला कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जाता है। छर्रे / गोटा की गुणवक्ता खराब हो गई और श्रमिको को बार-बार बताया गया कि गुणवक्ता के साथ-साथ मात्रा भी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है । यह भी तर्क दिया गया कि प्रबंधन दिनांक 20.01.1981 के समझौते की शर्तो के अनुसार श्रमिकों को कार्य स्थल पर आवश्यक सामाग्री जैसे क्ले (clay), रेत,पानी और कोयला प्रदान कर रहा था ।

8. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा सी.जी.आई.टी को भेजा गया रिफरेंस गलत था क्योंकि आई.डी.ए. की धारा 36 ए के तहत यदि किसी प्रावधान या प्रावधानों को शब्दों की व्याख्या के बारे में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है तो मामले को केवल श्रम न्यायालय को किसी प्रावधान या प्रावधानों के शब्दों की व्याख्या के लिए भेजा जा सकता है। आक्षेपित अधिनिर्णय में संदर्भ के लिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाद के न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है जो आई.डी.ए. की धारा 36-ए के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष पर कोई औद्योगिक विवाद नहीं था और इस तरह न्यायाधिकरण को केवल व्याख्या तक ही सीमित रहना चाहिए था, श्रमिकों को कोई अनुतोष नहीं देना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी बनाम उनके वर्कमैन 1 में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का अवलंब लिया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त समझौते के तहत कार्यस्थल पर कोयला/रेत उपलब्ध कराना आवश्यक था, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि प्रबंधन को श्रमिकों को उनके स्थान पर या तो रेत या मिट्टी उपलब्ध कराना आवश्यक था। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि प्रबंधन को कार्यस्थल पर मिट्टी/रेत उपलब्ध कराना आवश्यक था, समझौते की शर्तों के विपरीत था। क्ले (clay) बनाने के लिए श्रमिकों द्वारा सामान्य कार्य घंटों से चार घंटे अधिक काम करने के कारण न्यायाधिकरण द्वारा तीन घंटे का ओवरटाइम भुगतान करने का निर्देश बिना किसी आधार के और समझौते की शर्तों के विपरीत है। क्ले (clay) कुछ और नहीं बल्कि सख्त चिपचिपी मिट्टी (earth) है। श्रमिकों को मिट्टी (earth) उपलब्ध कराई गई जो मिट्टी है जबकि मिट्टी (earth) बहुत दृढ़ और अभेद्य होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने के लिए इस रिट याचिका पर विचार नहीं करेगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सी.जी.आई.टी. प्रबंधन तथा श्रमिक संघ उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दस्तावेजों की विस्तृत जांच की है तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रबंधन समझौते की शर्तों के अनुसार श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर क्ले (clay) की आपूर्ति नहीं कर रहा था। क्ले (clay) छर्रे/गोटा बनाने के लिए मूल कच्चा माल है। क्ले (clay) की आपूर्ति न होने के कारण श्रमिकों को क्ले (clay) तैयार करने में चार घंटे से अधिक समय व्यतीत करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप छर्रे/गोटा का उत्पादन कम हो गया। समझौते

की शर्तों के अनुसार श्रमिकों को 8 घंटे कार्य करने के लिए प्रति श्रमिक 9" x 11/2" के 1000 कार्टिज बनाने थे, लेकिन मिट्टी तैयार करने के कारण श्रमिक छर्रे/गोटा बनाने के लिए चार घंटे से अधिक समय नहीं दे सके। कार्यस्थल पर क्ले (clay) की आपूर्ति न होने के कारण श्रमिकों को नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा प्रति दिन 8 कार्य घंटों के आधार पर श्रमिकों को दिए जाने वाले भुगतान के आधार पर उत्तरवादी को तीन घंटे का ओवरटाइम भुगतान करने का निर्देश देना सही तथा न्यायोचित था।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता दिनांक 20.1.1981 के समझौते की शर्तों के अनुसार क्ले (clay)/रेत की आपूर्ति नहीं कर रहा था। यदि यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता को क्ले (clay)/रेत की आपूर्ति करनी थी, अर्थात क्ले (clay) या रेत, तो भी कामगारों को क्ले (clay) के स्थान पर रेत की आपूर्ति नहीं की गई, बल्कि कामगारों को मिट्टी (earth) की आपूर्ति की गई, जो क्ले (clay) से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. न्यायाधिकरण ने क्ले (clay) को सही ढंग से परिभाषित किया है तथा मिट्टी(earth) से उसका भेद किया है। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्यों का निष्कर्ष उचित तथा साक्ष्य पर आधारित है, तथा इस याचिका में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने आईडीए की धारा 36 ए के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न केवल समझौते की शर्तों की व्याख्या की है, बल्कि परिणामी अनुतोष भी प्रदान की है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

14. दिल्ली क्लॉथ्स एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है;

“जबकि विवाद या उससे संबंधित किसी मामले को न्यायनिर्णय के लिए संदर्भित करना उचित सरकार के लिए खुला है, न्यायाधिकरण को अपने न्यायनिर्णय को विशेष रूप से उल्लिखित बिंदु और उससे संबंधित किसी भी चीज़ तक सीमित रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में न्यायाधिकरण को संदर्भित विवाद के दायरे को बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उसे अपना ध्यान विशेष रूप से उल्लिखित बिंदुओं और उससे संबंधित किसी भी चीज़ तक सीमित रखना चाहिए।

वर्तमान मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है और केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ तक ही सीमित रखा है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विधि के किसी भी प्रावधान और शर्तो की व्याख्या परिणामी अनुतोष के बिना नहीं की जा सकती । परिणामी अनुतोष के बिना नहीं की जा सकती । परिणामी अनुतोष प्रदान करने की शक्ति व्याख्या की शक्ति के साथ अनिवार्य रुप से जुडी हुई है । तदानुसार, न्यायधिकरण ने परिणामी अनुतोष प्रदान करने में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी या कानूनी त्रुटी नहीं की है क्योंकि यह संदर्भ का भी एक हिस्सा था ।यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विधि और अवधि के प्रावधान की कोई भी व्याख्या परिणामी अनुतोष के बिना नहीं की जा सकती क्योंकि यह संदर्भ का भी हिस्सा था।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने संजना एम. विग (एम.एस) बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2, एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य 3, श्री रेना ड्रेगो बनाम लालचंद सोनी आदि4 और चंदावरकर सीता रत्ना राव बनाम आशालता एस. गुरनाम में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

16. श्री रेना ड्रेगो के मामले (पुर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

" हमारे अनुसार, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की सीमा से बहुत आगे जाकर काम किया है, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने बेदखली के उस आदेश को उलट दिया जो तथ्य-खोज प्राधिकरण द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों पर आधारित था। उच्च न्यायालय के लिए यह याद दिलाना अच्छा होता कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था, जो उच्च न्यायालय को निचले न्यायाधिकरण के अभिलेखों और कार्यवाहियों की जांच तक ही सीमित रखने के लिए बाध्य करता है। नये तथ्यों पर भरोसा करके, जो न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं थीं, उच्च न्यायालय को ऐसे पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तथ्यों के निष्कर्षों को नहीं छेड़ना चाहिए था। यह अब लगभग तय हो चुका है कि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति न्यायिक अधीक्षण की है जिसका उपयोग तथ्यों के निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हों, जब तक कि ऐसे निष्कर्ष इतने विकृत या अनुचित न हों कि कोई भी न्यायालय उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। बहुत पहले 1954 में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने वार्यार्न सिंह बनाम अमरनाथ, [एआईआर 1954 एससी 215] ने बताया है कि अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग “अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमाओं के भीतर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रखने के लिए बहुत कम और केवल उचित मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए।"

17. इसका अर्थ है चंदावरकर सीता रत्न राव के मामले (पुर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि; जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दो प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है - संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में तथ्यात्मक निष्कर्षों से निपटने की शक्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 दोनों के समान है। क्या उच्च न्यायालय, सक्षम न्यायालय तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है? यह सूस्थापित है कि उच्च न्यायालय सक्षम न्यायालय के तथ्यों के निष्कर्षों को अलग कर सकता है या अनदेखा कर सकता है यदि इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है और यदि कोई उचित व्यक्ति संभवतः उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है जो अधिनस्थ न्यायलय पहुंची है या दूसरे शब्दों में एक निष्कर्ष जो विधि में विकृत है। सिद्धांत सुस्थापित है। डीएन बनर्जी वीपीआर मुखर्जी, [1953 एससीआर 302 में 305] (एआईआर 1953 एससी 58 पेज 59 पर) इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जब तक न्याय का कोई गंभीर गर्भपात या विधि का स्पष्ट उल्लंघन नहीं होता है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि अभिलेख पर साक्ष्य हैं जिसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और यदि न्यायालय ने स्वयं को विधि या तथ्य के आधार पर गुमराह नहीं किया है, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अनुसार, उच्च न्यायालय को उचित प्राधिकारियों द्वारा किए गए ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। हमने देखा है कि साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता 1 फरवरी, 1973 को या उससे पहले कब्जे में लाइसेंसधारी था। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रदर्श. ए के बारे में संदेह व्यक्त किया था, लेकिन अंततः इस स्थिति को स्वीकार कर लिया कि लीव और लाइसेंस समझौता था। लघु कारण न्यायालय की विद्वान अपीलीय पीठ ने प्रदर्श. ए पर संदेह किया और कहा कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है। यह सत्य है कि बाधा डालने वाले के साक्ष्य में विसंगतियां थीं और मुकदमे का विरोध करने में निर्णित ऋणी के आचरण में असंगति थी। फिर भी ये सभी न्यायालय के तथ्यों का पता लगाने के लिए हैं और यदि ऐसे तथ्य-खोजी निकायों ने विधि में उचित रूप से कार्य किया है और यदि निष्कर्षों को विधि में विकृत नहीं कहा जा सकता है तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ऐसे निष्कर्षों में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के भीतर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

18. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए तथ्यों के निष्कर्षों को खारिज करने या अनदेखा करने से बचना चाहिए, यदि उसके निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और ठोस कारण हों।

19. उपरोक्त कारणों से, याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Pemin sahu